न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 32 / 2022 (GCMS No. 2022/174)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1– तुलछाराम पुत्र अणदाराम 2– मालाराम पुत्र आसुराम 3– बिरमाराम पुत्र आसुराम 4– चुनी पत्नी आसुराम 5– धोकलराम पुत्र राजुराम 6– आदुराम पुत्र राजुराम 7– हिम्मताराम पुत्र राजुराम 8– अमानाराम पुत्र राजुराम 9– जेठाराम पुत्र लाबूराम 10– बगताराम पुत्र लाबूराम 11– रामुराम पुत्र लाबूराम 12– किशनाराम पुत्र लाबूराम जाति जाट, निवासीगण– डउकियों का बास, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर		1– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी–ओसियां। 2– परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 188, उम्मेद हैरिटेज, जोधपुर 3– भारत सरकार जरिये उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।

आर्बीटेशन आवेदन / प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थितिः– दिनांकः 07.10.2025

1. श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी (प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता)– उपस्थित
2. श्री एल.आर. पूनिया (अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता)– उपस्थित
3. अप्रार्थीपक्ष 01, 03 –अनुपस्थित

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिलें की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जोधपुर जिले में भारतमाला परियोजना (लौट–4 पैकेज 6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर-जामनगर भारतमाला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–के किमी. 261.743 से किमी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

349.743 (ओसियॉ) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए निजी/राजकीय भूमि अवाप्ति हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि के मुआवजा निर्धारण में 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम डऊकियों का बास पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का अवार्ड क्रम संख्या 24 पर प्रार्थीगण की भूमि पर लगे पेड़ों का मुआवजा मात्र 31,565/– रूपये व सोलेशियम अमाउण्ट 100 प्रतिशत कुल 63,129/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा 2953 व 2953/1 में 1.5378 हैक्टेयर में रोड़ निकाली गई है। भूमि के पेड़ो के मुआवजों का निर्धारण मात्र 0.7691 हैक्टेयर रकबे का ही मात्र 63,129 रूपये किया गया जबकि प्रार्थीगण के हिस्से में 1.5378 हैक्टेयर में रोड़ निकलने से उक्त सम्पूर्ण भूमि के रकबे पर पेड़ो के मुआवजे की राशि हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित मुआवजा निर्धारण करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसके आधार में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम डऊकिया के बास के खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 कमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि में से 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि सड़क सीमा में आने के कारण उक्त सम्पूर्ण रकबे का मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थीगण हकदार है जबकि प्रार्थीगण को पेड़ो का मुआवजा अवार्ड मात्र 0.7691 हैक्टेयर भूमि का ही मात्र 63,129 रूपये निर्धारण किया गया। इस कारण इस खसरान की सड़क में अवाप्त भूमि का रकबा 1.5378 है. – 0.7691 है. = 0.7687 हैक्टेयर भूमि शेष रही जिसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के रोहिड़ा की इमारती लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ थे जो कीमती होने से उक्त सम्पूर्ण रकबे में 5,00,000/– रूपये मय ब्याज 12 प्रतिशत दिनांक 31.1.2019 से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण दिलवाने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि में से 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि सड़क सीमा में आने के कारण इन दोनो खसरो में प्रार्थीगण की मात्र 05 बीघा 01 बिस्वा मौके पर व नक्शे में शेष रही है। अप्रार्थीगण किसी भी राजस्व अधिकारी, सेटलमेन्ट विभाग या तहसीलदार, तिंवरी या किसी उच्च अधिकारी से माप व सीमांकन करवा सकते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के बार बार निवेदन के पश्चात भी प्रार्थीगण की सड़क में अवाप्त सम्पूर्ण भूमि के पेडो का मुआवजा का न तो निर्धारण किया गया न ही प्रार्थीगण को मुआवजा दिया गया। इस कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण दोषी है एवं प्रार्थीगण को भूमि अधिग्रहण दिनांक 31.1.2019 से अदायगी दिनांक तक मय ब्याज 12 प्रतिशत की दर से प्रार्थी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि में से 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजों राशि लगभग 5,00,000/– रूपये का दिनांक 31.1.2019 से 12 प्रतिशत की दर से भुगतान तक की दिलाई जाकर ताअदायगी मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर 32/2022 (GCMS No. 2022/174) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष–01 व 02 के नोटिस बाद तामिल लौटे व अप्रार्थीपक्ष–03 का नोटिस तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक की डिलीवर्ड ट्रैकिंग रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थीपक्ष 02 की ओर से दिनांक 13.07.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीपक्ष 02 के अधिवक्ता की ओर से दिनांक 13.07.2022 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य में प्रारम्भिक आपत्तियां इस प्रकार है प्रार्थीगण ने जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है वह अवाप्त भूमि से बाहर की भूमि के पेड़ो का मुआवजा निर्धारण करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो भूमि अवाप्ति मे नही है उसका मुआवजा नही दिलाया जा सकता है।

न्यायालय कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के योग्य नहीं है एवं खारिज किये जाने के योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीगण ने ख.न. 2953 व 2953/1 में से कुल 1.5378 हैक्टर भूमि राडक निर्माण में आना बताकर अवाप्त भूमि से बाहर का रकबा 0.7687 हैक्टर के पेडो के लिये मुआवजा निर्धारण का गलत प्रस्तुत किया गया है जिसका मुआवजा निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा अवाप्त भूमि का प्रार्थीगण ने मुआवजा निर्धारण इस प्रार्थनापत्र मे राही होना स्वीकार किया है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के योग्य नही है। अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पदवार जवाब इस प्रकार है–प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज 6) के अंतर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर– काण्डला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के. किलोमीटर 261.743 से किलोमीटर 349.743 (औसियां) तक (चार लेन मय पेण्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को प्राधिकृत किये जाने एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.न. 2953 व 2953/1 में से रकबा 0.7691 हैक्टर भूमि अवाप्त करने एवं उसका मुआवजा निर्धारण करने का तथ्य सही है तथा उक्त अवाप्त भूमि पर पेड़ो के लिये मुआवजा राशि 31565/–रूपये एवं उतनी ही सोलेशियम राशि कुल 63,129/–रूपये निर्धारित करने का तथ्य सही है तथा इस पद मे प्रार्थीगण के भूमि के रकबे 1.5378 हैक्टर मे से रोड़ निकालने का तथ्य पूर्णतया गलत बताया गया है तथा उक्त रकबे पर पेड़ो के लिये मुआवजे की राशि की अनुचित मांग करते हुए वर्तमान प्रार्थनापत्र निराधार प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के आधार के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थीगण के ख.न. 2953 व 2953/1 की कुल रकबा 2.3553 हैक्टेयर भूमि में से 1.5378 हैक्टेयर भूमि सड़क सीमा मे आने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है तथा उस आधार पर मुआवजे की अनुचित लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से मांग की गयी है जबकि प्रार्थीगण की उक्त खसरा मे से केवल 0.7691 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की गयी है तथा इससे अधिक रकबा नही लिया गया है अवाप्त रकबे पर आये पेड़ो का मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थीगण को अदा कर दिया गया है। इसके बाद प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थनापत्र केवल और केवल अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु निराधार प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने के योग्य है। अवाप्त भूमि पर आये पेड़ो की गणना सर्वेसूची के अनुसार करके मुआवजा राशि तय की गयी जिसकी अवार्ड की नकल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के आधार संख्या 2 मे उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थीगण के ख.न. 2953 व 2953/1 मे से 1.5378 हेक्टेयर भूमि अवाप्त करने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है जबकि उक्त ख.न. मे से मात्र 0.7691 हैक्टर की अवाप्त की गयी है अवाप्त भूमि के नक्शे की नकल प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के आधार संख्या 3 में उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है। जवाब प्रार्थना पत्र के अंत में अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के हक का अधिकारी नही होने से प्रार्थनापत्र मय भारी हर्जे खर्चे के निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुए:–

1–सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज 6) के अंतर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर– कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के. किलोमीटर 261.743 से किलोमीटर 349.743 (औसियां) तक (चार लेन मय पेण्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए भारत माला परियोजना के अन्तर्गत पेड़ों के मुआवजे का अवार्ड आदेश दिनांक 26.11.2019 की छायाप्रति।

2–प्रार्थीगण से संबंधित भूमि के खसरान् की जमाबंदी की छायाप्रति।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

3–खसरा नं. 2953 के पेड़ो के अवार्ड की सूची की छायाप्रति।

4–तहसीलदार तिंवरी के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/1196 दिनांक 07.10.2022 की प्रमाणित प्रति।

दिनांक 09.09.2025 को उपस्थित प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता व अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता की बहस सुनी।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि जोधपुर जिले में भारतमाला परियोजना (लौट–4 पैकेज 6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754–के किमी. 261.743 से किमी 349.743 (ओसियॉ) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण के लिए निजी/राजकीय भूमि अवाप्ति हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि खेत खरारा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि के मुआवजा निर्धारण में 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम डऊकियों का बास पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर का अवार्ड क्रम संख्या 24 पर प्रार्थीगण की भूमि पर लगे पेड़ों का मुआवजा मात्र 31,565/– रूपये व सोलेशियम अमाउण्ट 100 प्रतिशत कुल 63,129/– रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया जबकि प्रार्थी की भूमि खसरा 2953 व 2953/1 में 1.5378 हैक्टेयर में रोड़ निकाली गई है। भूमि के पेड़ो के मुआवजों का निर्धारण मात्र 0.7691 हैक्टेयर रकबे का ही मात्र 63,129 रूपये किया गया जबकि प्रार्थीगण के हिस्से में 1.5378 हैक्टेयर में रोड़ निकलने से उक्त सम्पूर्ण भूमि के रकबे पर पेड़ो के मुआवजे की राशि हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम डऊकिया के बास के खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 कमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि में से 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि सड़क सीमा में आने के कारण उक्त सम्पूर्ण रकबे का मुआवजा प्राप्त करने के प्रार्थीगण हकदार है जबकि प्रार्थीगण को पेड़ो का मुआवजा अवार्ड मात्र 0.7691 हैक्टेयर भूमि का ही मात्र 63,129 रूपये निर्धारण किया गया। इस कारण इस खसरान की सड़क में अवाप्त भूमि का रकबा 1.5378 है. – 0.7691 है. = 0.7687 हैक्टेयर भूमि शेष रही जिसका मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीगण के रोहिड़ा की इमारती लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ थे जो कीमती होने से उक्त सम्पूर्ण रकबे में 5,00,000/– रूपये मय ब्याज 12 प्रतिशत दिनांक 31.1.2019 से प्रार्थीगण को दिया जावे। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि में से 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि सड़क सीमा में आने के कारण इन दोनो खसरो में प्रार्थीगण की मात्र 05 बीघा 01 बिस्वा मौके पर व नक्शे में शेष रही है। अप्रार्थीगण किसी भी राजस्व अधिकारी, सेटलमेन्ट विभाग या तहसीलदार, तिंवरी या किसी उच्च अधिकारी से माप व सीमांकन करवा सकते हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के बार बार निवेदन के पश्चात भी प्रार्थीगण की सड़क में अवाप्त सम्पूर्ण भूमि के पेडो का मुआवजा का न तो निर्धारण किया गया न ही प्रार्थीगण को मुआवजा दिया गया। बहस के अंत में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 है. भूमि में से 1.5378 है. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजों राशि लगभग 5,00,000/– रूपये का दिनांक 31.1.2019 से 12 प्रतिशत की दर से भुगतान तक मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि प्रार्थीगण ने जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है वह अवाप्त भूमि से बाहर की भूमि के पेड़ो का मुआवजा निर्धारण करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो भूमि अवाप्ति मे नही है उसका मुआवजा नही दिलाया

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

जा सकता है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र जो प्रस्तुत किया गया है वह पूर्णतया गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीगण ने ख.न. 2953 व 2953/1 में से कुल 1.5378 हैक्टर भूमि सड़क निर्माण में आना बताकर अवाप्त भूमि से बाहर का रकबा 0.7687 हैक्टर के पेड़ो के लिये मुआवजा निर्धारण का गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है जिसका मुआवजा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य भारतमाला परियोजना (लौट–4/पैकेज 6) के अंतर्गत इकोनोमिक कोरिडोर अमृतसर– काण्डला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 754 के. किलोमीटर 261.743 से किलोमीटर 349.743 (औसियां) तक (चार लेन मय पेण्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु अवाप्तिधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 को प्राधिकृत किये जाने एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.न. 2953 व 2953/1 में से रकबा 0.7691 हैक्टर भूमि अवाप्त करने एवं उसका मुआवजा निर्धारण करने का तथ्य सही है तथा उक्त अवाप्त भूमि पर पेड़ो के लिये मुआवजा राशि 31565/–रूपये एवं उतनी ही सोलेशियम राशि कुल 63,129/–रूपये निर्धारित करने का तथ्य सही है तथा इस पद मे प्रार्थीगण के भूमि के रकबे 1.5378 हैक्टर मे से रोड़ निकालने का तथ्य पूर्णतया गलत बताया गया है तथा उक्त रकबे पर पेड़ो के लिये मुआवजे की राशि की अनुचित मांग करते हुए वर्तमान प्रार्थनापत्र निराधार प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के आधार के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थीगण के ख.न. 2953 व 2953/1 की कुल रकबा 2.3553 हैक्टेयर भूमि में से 1.5378 हैक्टेयर भूमि सड़क सीमा मे आने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है तथा उस आधार पर मुआवजे की अनुचित लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से मांग की गयी है जबकि प्रार्थीगण की उक्त खसरा मे से केवल 0.7691 हैक्टर भूमि ही अवाप्त की गयी है तथा इससे अधिक रकबा नही लिया गया है अवाप्त रकबे पर आये पेड़ो का मुआवजा निर्धारित कर प्रार्थीगण को अदा कर दिया गया है। बहस में आगे बतलाया गया कि अवाप्त भूमि पर आये पेड़ो की गणना सर्वेसूची के अनुसार करके मुआवजा राशि तय की गयी जिसकी अवार्ड की नकल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र के आधार संख्या 2 मे उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत है तथा प्रार्थीगण के ख.न. 2953 व 2953/1 मे से 1.5378 हेक्टेयर भूमि अवाप्त करने का तथ्य सर्वथा मिथ्या कथन किया गया है जबकि उक्त ख.न. मे से मात्र 0.7691 हैक्टर की अवाप्त की गयी है अवाप्त भूमि के नक्शे की नकल प्रस्तुत की है। बहस के अंत में अप्रार्थीपक्ष–02 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर खेत खसरा नम्बर 2953 व 2953/1 क्रमशः 1.1817 + 1.1736 = 2.3553 हैक्टे. भूमि में से 1.5378 हैक्टे. यानी 09 बीघा 10 बिस्वा भूमि में लगे पेड़ो का मुआवजों राशि लगभग 5,00,000/– रूपये का दिनांक 31.1.2019 से 12 प्रतिशत की दर से भुगतान तक मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा प्रार्थीगण की 0.7691 हैक्टेयर भूमि ही अवाप्त की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा जारी पेड़ो का मुआवजा अवार्ड दिनांक 26.11.2019 में प्रार्थीगण से संबंधित खसरा संख्या 2953 को पेड़ो का मुआवजा दिया जा चुका है जबकि प्रार्थीगण द्वारा अवाप्ति हेतु दावा की जा रही कुल 1.5378 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के द्वारा अवाप्त किये जाने का कोई प्रमाणित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया चूंकि प्रार्थी द्वारा बताये गये तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य/वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व (Burden Of Proof) प्रार्थीपक्ष का होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज.)

यह पंचाट आज दिनांक 07.10.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)